

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्या : 62/2025

वादी  
करनाराम वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
पोलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा- राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.05.2025	<p>वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 25.06.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी</p> <p>२५-६-२५ पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण का पत्रावली पेश करने का अवकाश पर है दौरे पर है। वाद का निर्णय 25.06.2025 को पेश हो।</p> <p>२५-६-२५ पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण को सम्मन अखण्ड द्वारा जारी की जा चुकी है। पत्रावली वाद के जवाब में दिनांक 18-8-25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी</p>	<p>मेरादा वाद २५-६-२५ सेना नास्ता शास्ता करनाराम</p>
18.08.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी करनाराम उप-खण्ड के दवा नहीं चलाना चाहता है और शिका में लिखा तथा अपना हस्ताक्षर किए हैं अतः वाद का वाद इसी स्तर पर खालि किमा जाता है। पत्रावली के मूल शुमार होकर फाइल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी</p>	